फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी कोटपूतली

हरिराम — बनाम — राज० सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष M 2023 प्रा० पत्र 136 L.R. Act /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		स्वीकार किया जाता है। आ० खा० नं० 2139/0.0735, 2144/0.1143 है० वाले ग्राम बालड़ी तहसील-कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में अर्थी व अर्थी के परिवार के सदस्यों की आपके हकदार के स्थान पर गुजर दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार कोटपूतली को दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीर आपी हो। निर्णय आज दिनांक 18.3.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़
18/3/24		पत्रावली आज प्रार्थी श्रीमति आदि वकील अर्थना-पत्र 152 LR प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। अर्थना-पत्र पर अर्थी वकील अर्थी को सुना एवं

फर्द अहकाम

उपखण्ड-अधिकारी कोटपूतली

हरिराम — बनाम — राज० सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष /20

प्रा० पत्र 136 L.R. Act

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में निर्णय लिखते वक्त लिपि त्रुटि है अर्थी व अर्थी के सदस्यों का निवास स्थान ग्राम सिंहपुरी बजाय बालड़ी स्थान है नहीं लिखा गया। जबकि अर्थी के अर्थना-पत्र अनुतोष में यह अंकित है। उक्त त्रुटि लिपिबद्ध भूल की श्रेणी में है। इसलिए अर्थना-पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। अतः अर्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 18.3.2024 में अंकित आपसी में अर्थी व अर्थी के परिवार के सदस्यों का निवास स्थान सिंहपुरी की बजाय बालड़ी दर्ज किये जाने के आदेश TSR को दिये जाते हैं। तदनुसार पढ़ा जावे। पत्रावली अब नस्तील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़	